

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 58 /2019-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, दिनांक 08 अगस्त, 2019

सा. का. नि. (अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 जिसे सा. का. नि. 193 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, मध्य प्रदेश राज्य से संबन्धित क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (viii) तथा कॉलम (3) और (4) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)
“(ix) ग्राम- तीही, तहसील- अंबेडकर नगर, (महो), जिला- इंदौर	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना”

[फ़ा. सं. 434/23/2017-सीमाशुल्क IV]

जुबैर रियाज़

(जुबैर रियाज़)

निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना स. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गयी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 61/2018- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 11 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 622 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।